advertised by the Staff Selection Commission.				

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Field Assistant (Level-2) with 8 years regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee, for considering confirmation and promotion, consisting of: —** (i) Director, Botanical Survey of India -Chairman (ii) Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata -Member (iii) Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata - Member.	Not applicable.

[F. No. 01/03/2021-CSB]

MANJU PANDEY, Jt. Secy.

आयुष मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 141.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुष मंत्रालय में उप-सलाहकार (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा), अनुसंधान अधिकारी (योग) और अनुसंधान अधिकारी (प्राकृतिक चिकित्सा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुष मंत्रालय (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और **वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा,** जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1. उप-सलाहकार (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा)।	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स का स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रु. 78800-209200/-)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।	**प्रोन्नति द्वारा:-** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में ऐसे अनुसंधान अधिकारी (प्राकृतिक चिकित्सा) जिन्होंने 'अ' श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने

				प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक किया हो । **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरा कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ट व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी करली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है । **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अपनी अपनी श्रेणी या पद में परस्पर ज्येष्ठता बनाए रखते समय अधिकारियों द्वारा अपनी अपनी श्रेणी या पद में विहित अर्हक सेवा के पूरे होने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जायेगी । **प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)** क. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700 रू.-208700 रू.) के स्तर-11 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा के साथ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हो: **आवश्यक:-** (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय

				या संस्थान से योग में स्नातक उपाधि; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योग में स्नातकोत्तर उपाधि; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में साढ़े पांच वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रम में स्नातक उपाधि; और (ख) योग या प्राकृतिक चिकित्सा अथवा योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में उपेक्षित दस साल का अनुभव । **वांछनीय:-** (i) योग या प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में मानक अनुसंधान लेखों के रूप में कम से कम पांच अनुसंधान कार्यों को समकक्ष समीक्षित अनुक्रमित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योग या प्राकृतिक चिकित्सा में डॉक्टरेट की डिग्री. **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे ।इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, स्सधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, आयुष मंत्रालय - सदस्य 3. सलाहकार (योग और प्राकृतिक चिकित्सा) या आयुष मंत्रालय के सचिव (आयुष) द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी विध्याशाखा के सलाहकार के स्थान पर विषय विशेषज्ञ - सदस्य।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर पद भरे जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)
2. अनुसंधान अधिकारी (योग)	1 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स (रु. 56,100-1,77,500/-) में स्तर-10	लागू नहीं।	35 वर्ष से अधिक नहीं। **टिपपण 1:** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। **टिप्पण 2:** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योग में स्नातक उपाधि। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योग में स्नातकोत्तर उपाधि। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योग में डॉक्टरेट की उपाधि। **टिप्पण 1-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2-** अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग	लागू नहीं।	एक वर्ष	**सीधी भर्ती द्वारा।** **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या; और (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 या 9 या समकक्ष में नियुक्ति के बाद नियमित

के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			आधार पर ग्रेड में दो वर्ष की सेवा के साथ। (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव है। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	**समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:** 1. संयुक्त सचिव (स्थापना), आयुष मंत्रालय - अध्यक्ष 2. सलाहकार (योग और प्राकृतिक चिकित्सा) या सलाहकार या संयुक्त सलाहकार के स्थान पर सचिव (आयुष) द्वारा नामित किसी भी पद्धति का विषय विशेषज्ञ – सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव(स्थापना), आयुष मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)
3. अनुसंधान अधिकारी (प्राकृतिक चिकित्सा)।	1 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘क’ राजपत्रित, अनुसचिवीय।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स (रु. 56,100-1,77,500/-) में स्तर-10	लागू नहीं।	35 वर्ष से अधिक नहीं। **टिप्पण 1:** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। **टिप्पण 2:** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगिक विज्ञान में साढ़े पांच साल की अवधि की स्नातक उपाधि। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योग में डॉक्टरेट की उपाधि। **टिप्पण 1-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं।	एक वर्ष	**सीधी भर्ती द्वारा।** **टिप्पण:**-पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या; (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 या 9 या समकक्ष में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर ग्रेड में दो वर्ष की सेवा के साथ और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव है। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	**समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:** 1. संयुक्त सचिव (स्थापना), आयुष मंत्रालय - अध्यक्ष 2. सलाहकार (योग और प्राकृतिक चिकित्सा) **या** सलाहकार या संयुक्त सलाहकार के स्थान पर सचिव (आयुष) द्वारा नामित किसी भी पद्धति का विषय विशेषज्ञ – सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (स्थापना), आयुष मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए.11013/02/2015-ई I (खंड-2)]

अब्दुल सादिक़ ख़ान, अवर सचिव

MINISTRY OF AYUSH

New Delhi, the 6th October, 2021

G.S.R. 141.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Adviser (Yoga and Naturopathy), Research Officer (Yoga) and Research Officer (Naturopathy) in the Ministry of AYUSH, namely :-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Ministry of AYUSH(Yoga and Naturopathy) Group 'A' posts, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of the post**	**Classification**
(1)	**(2)**	**(3)**
1. Deputy Adviser (Yoga and Naturopathy).	1* (2020) *subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.

Level in the pay matrix	**Whether selection post or non-selection post**	**Age- limit for direct recruits**
(4)	**(5)**	**(6)**
Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200/)	Selection Post	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
By Promotion: -Research Officer (Yoga) or Research Officer (Naturopathy) in level-10 of the pay matrix with 10 years' regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field as prescribed by the administrative Ministry. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post, while maintaining the inter-se seniority in the respective grade or post. **By Deputation (including short-term contract)** A. Officers of the Central Government or State Government or Union territory or Statutory or Autonomous Organisations or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Universities: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700/-) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following essential qualifications and experience as under: **Essential:-** (a) (i) Bachelor Degree in Yoga from a recognised University or Institute; OR (ii) Post- Graduate Degree in Yoga from a recognised University or Institute; OR (iii) Bachelor Degree in Yoga and Naturopathy of five and a half years duration course from a recognised University or Institute; AND (b) Ten years experience required in the field of Yoga or Naturopathy or Yoga and Naturopathy. **Desirable:-** (i) Published at least five research works in the form of standard research papers in the field of Yoga or Naturopathy in peer-reviewed indexed National or International Journals; (ii) Doctorate degree in Yoga or Naturopathy from a recognised University or Institute. **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:**The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Secretary, Ministry of AYUSH – Member 3. Adviser (Yoga and Naturopathy) or Subject	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up the post on deputation (ISTC) basis.

Expert in place of Adviser of any stream nominated by Secretary (AYUSH) Ministry of AYUSH –Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Research Officer (Yoga).	1 (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500/).	Not applicable.	Not exceeding 35 years. **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission. **Note 2:** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelor Degree in Yoga from a recognised University or Institute; (ii) Post- Graduate Degree in Yoga from a recognised University or Institute. **Desirable :** Doctorate Degree in Yoga from a recognised University or Institute. **Note 1:** The qualification(s) and experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification(s) and experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable.	One year	**By direct recruitment.** **Note:** Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level of 8 or 9 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of the applications.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Joint Secretary (Establishment), Ministry of AYUSH – Chairman 2. Adviser (Yoga and Naturopathy) **OR** subject expert in place of Adviser or	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

	Joint Adviser of any stream nominated by Secretary (AYUSH) - Member 3. Director or Deputy Secretary (Establishment), Ministry of AYUSH –Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Research Officer (Naturopathy).	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial. .	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500/).	Not applicable.	Not exceeding 35 years. **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission. Note 2: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

(7)	(8)	(9)
ESSENTIAL: (i) Bachelor of Naturopathy and Yogic Science Degree of five and a half years duration from a recognised University or Institute; (ii) Post- Graduate Degree in Naturopathy from a recognised University or Institute. **Desirable:** Doctorate Degree in Naturopathy from a recognised University or Institute. **Note** 1: The qualification(s) and experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification(s) and experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	One year

(10)	(11)
By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level of 8 or 9 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.	Not applicable

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Joint Secretary (Establishment), Ministry of AYUSH – Chairman; 2. Adviser (Yoga and Naturopathy) or subject expert in place of Adviser or Joint Adviser of any stream nominated by Secretary (AYUSH) – Member 3. Director or Deputy Secretary (Establishment), Ministry of AYUSH – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A.11013/02/2015-E.I(Vol. 2)]

ABDUL SADIQ KHAN, Under Secy.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 2 सितंबर, 2021

सा.का.नि. 142.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हारवेस्ट प्रौधोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान लेखा अधिकारी, भर्ती नियम, 2009 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के अधीन, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हारवेस्ट प्रौधोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची में लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और** प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हारवेस्ट प्रौधोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।